ISSN: 2348-3083
An International Peer Reviewed
SCHOLARLY RESEARCH JOURNAL FOR HUMANITY SCIENCE & ENGLISH LANGUAGE

वैचारिकी के निर्माण में संचार माध्यमों की भूमिका : महिला उत्पीड़न के विषेश संदर्भ में समाजषास्त्रीय विष्लेशण

डा० लता कुमार,

एसो० प्रोफेसर-समाजशास्त्र

श०मं०पा० राज० स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय, मेरठ

Abstract

कच्ची बस्ती में रहने वाली ५५ वर्षीय कमला बाई राम-सीता को भगवान के रुप में तो जानती हैं लेकिन राम-सीता की कथा से अनभिज्ञता प्रकट करती हैं। सीता मैया के साथ क्या हुआ ? द्रौपदी की कहानी क्या है और उर्मिला, अहिल्या, गांधारी जैसी पौराणिक महिलाओं के बारे में भी वे कुछ नहीं जानतीं।

कार्ल मानहाइम किसी समूह की उस विचार प्रणाली को वैचारिकी कहते हैं, जो स्वार्थबद्ध होती है। मानहाइम दो प्रकार की वैचारिकी बताते हैं - एक, विषिश्ट वैचारिकी और दूसरी, सम्पूर्ण वैचारिकी। विषिश्ट वैचारिकी, किसी एक विषिश्ट व्यक्ति की विचारधारा होती है जिसे संबंधित समूह की मान्यता मिल जाती हो या मिली हुई हो। जबकि संपूर्ण वैचारिकी संपूर्ण समाज व्यवस्था की मुख्य विचारधारा होती है जो संपूर्ण मान्यताओं या नैतिकता के नियम, परम्पराओं तथा रुढ़ियों इत्यादि से संबंधित होती है ।

संचार के साधनों का उपभोग करने वाले और उनसे वंचित व्यक्तियों के ज्ञान और विचारधारा में पर्याप्त भिन्नता देखने को मिलती है। यह स्थिति तब और भी ज्यादा प्रभावी हो जाती है जबकि संचार साधनों के उपभोग न करने वाले अषिक्षित और निर्धन हों अर्थात उनकी सामाजिक-आर्थिक प्रस्थिति निम्न हो। महिला उत्पीड़न के संदर्भ में किए गए इस षोध से इन तथ्यों की पुश्टि होती है ।

कच्ची बस्ती में रहने वाली ५५ वर्षीय कमला बाई राम-सीता को भगवान के रुप में तो जानती हैं लेकिन राम-सीता की कथा से अनभिज्ञता प्रकट करती हैं। सीता मैया के साथ क्या हुआ ? द्रौपदी की

कहानी क्या है और उर्मिला, अहिल्या, गांधारी जैसी पौराणिक महिलाओं के बारे में भी वे कुछ नहीं जानती। "मैं कै जाणूं ? मैं पढ़ी कोनी।" वे जबाव देती हैं। महिला उत्पीड़न संबंधी विभिन्न स्थितियों यथा मार-पीट, गाली-गलौज आदि को भी वे अपनी गरीबी और नियति से जोड़कर देखती हैं ।

वहीं दूसरी ओर ३५ वर्षीय जानकी कहती हैं कि 'मैं पढी-लिखी को न, पर टी०वी० में सीता मैया और द्रौपदी की कहाणी देखूं।' यह पूछे जाने पर कि कहानी में एक औरत के रुप में सीता और द्रौपदी ने जो किया क्या वह सही था ? वे कहती हैं कि 'वे तो भगवान के अवतार थे जो भी किया सही ही किया होगा।' द्रौपदी को जुए में पांडवों द्वारा हार जाने की बात पर वे कहती हैं, 'मरद तो औरत के लिए भगवान होवे।' सीता द्वारा रावण का वैभव ठुकराकर राम का इंतजार करना, अंधे पति का अनुकरण कर गांधारी का आंखों पर पटटी बांधना, चित्तौड़ में रानी पदमिनी का सामूहिक आत्मदाह तथा कुंती द्वारा सूर्य पुत्र कर्ण को गंगा में बहा देने जैसी सभी स्थितियों को वे सही ठहराती हैं, जबकि संयोगिता द्वारा किए गए प्रेम विवाह को वे अनुचित मानती हैं ।

उपरोक्त दोनों अनुभव राजस्थान के अजमेर षहर के अध्ययन पर आधारित हैं। यद्यपि अध्ययन का विशय महिला उत्पीड़न का वैचारिक और वर्गीय संदर्ष है तथापि अनुभवों से स्पश्ट होता है कि व्यक्तियों के विषेशकर अषिक्षित व्यक्तियों के सांस्कृतिक ज्ञान के निर्धारण में रेडियो, टी०वी०, इंटरनेट जैसे संचार के साधन महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। संचार के ये साधन न केवल व्यक्ति के ज्ञान के क्षेत्र को प्रभावित करते हैं बल्कि उनके सामाजिक व्यवहारों पर भी अपना प्रभाव डालते हैं जो कि ज्ञान के माध्यम से निर्मित वैचारिकी द्वारा संचालित होते हैं ।

वैचारिकी उच्च रुप में व्यवस्थित प्रणालीबद्ध होती है तथा कुछ एक या अधिक महत्वपूर्ण मूल्यों के इर्दगिर्द एकीकृत होती है। प्रत्येक वैचारिकी का एक दृश्टिकोण होता है। यह दृश्टिकोण कुछ नैतिक तथा संज्ञानात्मक स्थापनाओं एवं अभिमतों से निर्मित होता है जो कि किसी मूर्त वस्तु या स्थिति के बारे में हो। विचारधारा लोगों को षक्तिषाली रुप से प्रभावित करती है तथा उनको प्रेरणा प्रदान करती है। इस संदर्भ में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं- एक, वे जो विचारधारा को स्पश्ट रुप से आत्मसात करते हैं। दूसरे, वे जो परोक्ष रुप से उसके प्रभाव में होते हैं ।

कार्ल मानहाइम किसी समूह की उस विचार प्रणाली को वैचारिकी कहते हैं, जो स्वार्थबद्ध होती है। मानहाइम दो प्रकार की वैचारिकी बताते हैं - एक, विषिश्ट वैचारिकी और दूसरी, सम्पूर्ण वैचारिकी। विषिश्ट वैचारिकी, किसी एक विषिश्ट व्यक्ति की विचारधारा होती है जिसे संबंधित समूह की मान्यता

मिल जाती हो या मिली हुई हो। जबकि संपूर्ण वैचारिकी संपूर्ण समाज व्यवस्था की मुख्य विचारधारा होती है जो संपूर्ण मान्यताओं या नैतिकता के नियम, परम्पराओं तथा रुढ़ियों इत्यादि से संबंधित होती है ।

वस्तुतः नारी उत्पीड़न कतिपय सामाजिक विसंगतियां या संयोगजनित घटना भर नही है, वरन् अपने मूलरुप में यह हमेषा ही किसी न किसी वैचारिक दृश्टिकोण अथवा विचारधारा से संपुश्ट होती रही है। तब वैचारिकी चाहे पुरुश प्रधान समाज की रही हो, रुढ़ परम्परावादी रही हो अथवा असमानतावादी रही हो। समाज में प्रभावपूर्ण रुप से व्याप्त ये सभी विचारधाराऐं ही वास्तव में नारी उपेक्षा, नारी उत्पीड़न और नारी षोशण की संपोशक व संवाहक रही हैं। इन सभी विचारधाराओं के विरोध स्वरुप तथा अन्यान्य कारकों के परिणामस्वरुप एक लम्बे ऐतिहासिक क्रम में नवीन विचारधाराओं यथा, उदारवाद, समतावाद तथा नारीवाद का उदय हुआ जो कि प्रभावषाली रुप में महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन के प्रति उन्मुख हैं और नारीगत उत्पीड़न, अत्याचार तथा षोशण का विरोध न केवल सैद्धांतिक रुप में कर रही हैं, वरन उसे व्यवहृत करने के लिए भी प्रयत्नषील हैं।

इन सबके फलस्वरुप हालांकि महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक व पारिवारिक स्थिति में परिवर्तन आया है परंतु फिर भी महिला उत्पीड़न व प्रताड़ना की घटनाओं में निरंतर वृद्रि ही हुई है। तब, क्या एक विचारधारा के रुप में समाज में प्रभावपूर्ण तरीके से अभी भी महिला उत्पीड़न स्वीकृत किया जा रहा है अथवा नवीन वैचारिक परिवेष में यह कुछ नए स्वरुपों के साथ उभरा है अथवा इसके पीछे कोई अन्य कारक सक्रिय हैं ? यह प्रष्न विचारणीय है ।

जहां तक उत्पीड़न का प्रष्न है, षाब्दिक दृश्टिकोण से उत्पीड़न यानि **व्चचतमेपवद** षब्द का अर्थ है, एक व्यक्ति के मस्तिश्क व भावनाओं का दमन तथा दुःख, दर्द, क्लेष और अभाग्य द्वारा उस पर दबाव की स्थिति, परेषान करने या पीड़ित करने की भावना, अपने अधीन या आश्रित के साथ अनुचित व निर्दयी व्यवहार, गलत व कठोर तरीके से सत्ता व षक्ति का प्रयोग, बलपूर्वक दबाने या रोकने की क्रिया तथा एक महिला का बलपूर्वक उत्पीड़न आदि।

परन्तु यहां प्रष्न केवल उत्पीड़न का न होकर 'महिला' उत्पीड़न का है, जो कि इस षब्द को स्वतः ही अनेकानेक सामाजिक और सांस्कृतिक आयामों से जोड़ देता है क्योंकि यहां उत्पीड़न मात्र एक महिला का नहीं वरन् सदियों से पीडित, षोशित और अपमानित उस वर्ग का है जिसे प्राकृतिक और सामाजिक व्यवस्था में अनिवार्य होने के बावजूद द्वितीय स्तर का माना जाता रहा है। फलतः निरंतर सामाजिक निर्योग्यताओं, प्रताड़नाओं और षोशण को सहन करते रहने के कारण वे सभी स्थितियां,

व्यवहार और क्रियाएं, जो कि उत्पीड़न को परिभाशित कर सकती थीं, नारी के प्रति समाज सम्मत और वैध ठहराई गईं तथा महिलाओं के संदर्भ में वे व्यावहारिक, नैतिक तथा प्राकृतिक घोशित कर दी गईं ।

वस्तुतः लैंगिक असमानता, बलात्कार, यौन-षोशण, महिला-हत्या, अपहरण, अगुवाई, कन्याभ्रूण व षिषुहत्या, छेड़खानी, मारपीट, मानसिक प्रताड़ना तथा अन्य अनेकानेक सामाजिक आर्थिक नियोंग्यताएं यथा बाल-विवाह, विधवा विवाह निशेध तथा वैधव्य जीवन की नियोंग्यताएं, पर्दा प्रथा, स्त्री अषिक्षा, सम्पत्ति में उत्तराधिकार से वंचन, सामाजिक अवहेलना, सती प्रथा तथा स्त्री को सम्पत्ति मानना आदि को महिला उत्पीड़न के विविध स्वरुपों के रुप में विवेचित किया जा सकता है। किंतु इनमें से अनेकों स्थितियों यथा छेडखानी, मारपीट, स्त्री को सम्पत्ति मानना, वैधव्य जीवन की नियोंग्यताएं, पर्दा प्रथा, स्त्री अषिक्षा, सम्पत्ति में उत्तराधिकार से वंचन आदि को अत्यन्त सहज, स्वाभविक व प्राकृतिक अंतःसंबंध और अंतःक्रिया के रुप में स्वीकार किया जाता हैं तथा स्थापित व्यवस्था के अनुकूल व हितार्थ बताते हुए उसके स्थायित्व का समर्थन किया जाता हैं। विविध ऐतिहासिक घटनाक्रम व साहित्यिक विवेचन इस तथ्य की पुश्टि करते हैं ।

रुढ़िवादी और पुरुष प्रभुत्ववादी विचारधारा ने इस मिथक को जन्म दिया है कि महिलाओं का उत्पीड़न वास्तव में प्राकृतिक है। उनका कथन है कि महिलाएं जैविक रुप से पुरुषों से निम्न हैं, वे पुरुषों से कम बुद्धिजीवी होती हैं और कुछ विषेष कार्यों को करने की क्षमता महिलाओं में पुरुषों से कम होती है। किंतु वास्तव में इस बात के कोई प्रमाण नहीं हैं कि महिलाएं पुरुषों से निम्न हैं। ये तथ्य पुरुष प्रधान समाज द्वारा थोपा गया है।

मार्क्सवादी विचारधारा के अनुसार, महिलाओं के उत्पीड़न की जड़ें समाज के विभिन्न वर्गों के विभाजन में समाहित हैं। महिलाओं के उत्पीड़न के लिए पुरुष-मालिक कार्यों का वर्गीकरण पुरुष एवं महिलाओं में इस प्रकार करते हैं कि महिलाओं द्वारा किए गए कार्य का भत्ता कम होता है।

वास्तव में महिला उत्पीड़न एक बहुआयामी व विविध पक्षीय स्थिति है जिसको परिभाशित करने तथा उसका विष्लेशण करने के लिए समूह, समुदाय तथा क्षेत्र की सांस्कृतिक व सामाजिक परिस्थितियां, उसके ऐतिहासिक संदर्भों, स्थापित व मान्य वैधानिक व्यवस्था, स्वीकृत वैचारिक व्यवस्था तथा नवीन परिवर्तनान्मुखी विचारधाराओं, उत्पीड़ित व्यक्ति के वैयक्तिक दृश्टिकोण व आयामों तथा उत्पीड़न का समय, स्थान व प्रत्यक्ष व्यवहार और उसके परिणामों को समझना अत्यंत आवष्यक है। इन सभी बिन्दुओं, पक्षों या आयामों की विवेचना के पष्चात् ही यह निर्धारण करना अधिक सहज, स्वाभाविक व

सत्य के निकट होगा कि किसी व्यक्ति, व्यक्तियों अथवा समूह द्वारा स्त्री या स्त्रियों के प्रति किया गया व्यवहार वस्तुतः उत्पीड़न ही है और यह उत्पीड़न मुख्यतः इस तथ्य से महत्वपूर्ण रुप से प्रभावित है कि उत्पीड़ित व्यक्ति महिला या महिलाऐं हैं तथा इस आधार पर उनके साथ किया गया व्यवहार उचित व स्वभाविक है

उपरोक्त विवेचना महिला उत्पीड़न की वैचारिकी पर प्रकाष डालती है। वैचारिकी निर्माण के सहयोगी तत्वों में वर्तमान आधुनिक समाज में संचार माध्यमों की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। संचार माध्यम सीधे तौर पर मानवीय संवेगों को प्रभावित करते हैं जो कि वैचारिकी निर्माण के संदर्भ में महत्वपूर्ण हैं। जैसा कि मैक्स षेलर कहते हें कि संस्कृति, भाशा और प्रजाति के संक्रमण से विचारों में परिवर्तन होता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि विचारों का संबध संवेगात्मक संरचना से होता है और व्यवहारिक स्तर पर भाशा, संस्कृति सभी का आधार संवेग है। षेलर द्वारा इंगित इन संवेगो को आधुनिक समाज में ज्ञान के प्रसार के माध्यम से संचार के साधन ही मुख्यतः प्रभावित करते हैं।

जे० एच० मीड भी कहते हें कि मस्तिश्क को समझने में संचार सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। वे कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मस्तिश्क के द्वारा संचार होता है अपितु मस्तिश्क की उत्पत्ति संचार के माध्यम से एक सामाजिक प्रक्रिया या अनुभव के संदर्भ में भाव-संकेतों के समागम द्वारा होती है ।

मीड की उक्त विवेचना अर्थात ज्ञान या विचार अथवा चिंतन प्रक्रिया को वर्तमान में सीधे तौर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित किये जाने की प्रवृत्ति बढ़ी है। अब यह माना जाता है कि एक समुदाय के लोगों के ज्ञान का स्तर और सोचने विचारने की षक्ति उस समुदाय में उपलब्ध विज्ञान व प्रौद्योगिकी के साधनों पर निर्भर है, इन साधनों में संचार के साधन के रुप में रेडियो, टेलिविजन और कम्प्यूटर प्रमुख हैं।

संचार या सम्प्रेशण के लिए अंग्रेजी में ब्वउउनदपबंजपवद षब्द का प्रयोग किया जाता है। संचार के लिए सबसे पहली अनिवार्यता है माध्यम। माध्यम के अभाव में हम अपनी बात को एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं पहुंचा सकते। संचार के माध्यमों के रुप में हम पत्र-पत्रिकाओं, पुस्तकों, रेडियो, टेलीविजन, कम्प्यूटर तथा वर्तमान में मल्टीमीडिया/स्मार्ट फोन को जानते हैं। आज तकनीकि विकास के चरमोत्कर्श पर सूचना प्रौद्योगिकी इस मुकाम पर पहुंच गई है कि इसके विस्तार के लिए दुनियां भी छोटी लगने लगी है। दूसरे षब्दों में, सूचना क्रांति ने पूरी दुनियां को ग्लोबल विलेज के रुप में परिवर्तित कर दिया है। सूचना जगत की इस क्रांति में टेलीफोन, फैक्स, रेडियो, टेलीविजन, कम्प्यूटर, मोबाइल फोन,

मल्टीमीडिया/स्मार्ट फोन, टैबलट, इटरनेट, फोटो कॉपियर, ई-मेल, वीडियो कॉल तथा सोषल मीडिया जैसे साधनों व माध्यमों की महती भूमिका है। संचार के ये अनेकानेक साधन और माध्यम न केवल व्यक्ति को सूचना और ज्ञान उपलब्ध कराते हैं वरन् व्यक्ति की सोच और विचारधारा को भी प्रभावित करते हैं।

प्रस्तुत षोध प्रपत्र भी इसी तथ्य को प्रस्तुत करता है। यद्यपि षोध का मुख्य विशय 'महिला उत्पीडन का वैचारिक और वर्गीय संदर्ष' है तथापि तथ्यों के विष्लेशण से यह ज्ञात होता है वैचारिकी के निर्माण में संचार के साधनों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। वर्गीय संदर्ष के अंतर्गत षोध में सामाजिक-आर्थिक भिन्नता पर आधारित तीन वर्गों की इकाइयों का अध्ययन किया गया है जिन्हें क्रमषः उच्च, मध्यम और निम्न क्रम दिया गया है। सम्पूर्ण अध्ययन में कुल तीन सौ इकाइयां सम्मिलित हैं जिनका चयन वर्गीय आधार पर मुख्यतः स्तरित निदर्षन तथा दैव निदर्षन पद्धति के द्वारा किया गया है। संपूर्ण इकाइयों में से ५० इकाइयां उच्च वर्ग से, १०० इकाइयां मध्यम वर्ग से तथा १५० इकाइयां निम्न वर्ग से संबंधित हैं। अध्ययन में शामिल प्रतिदर्ष का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है -

प्रतिदर्ष में सम्मिलित अधिकांष सूचनादाता ३१-४० वर्ष आयुवर्ग के हैं। प्रतिदर्ष में शामिल अधिकांष सूचनादाता मूल रुप से नगरीय क्षेत्र के निवासी हैं। इसका मुख्य कारण अध्ययन का पूर्णतया नगरीय क्षेत्र से सम्बद्ध होना है। अध्ययन में सम्मिलित अधिकांष सूचनादाता अध्ययन की गंभीर प्रकृति के अनुरुप विवाहित हैं। इसमें षामिल अधिकाषं सूचनादाताओं की विवाह की आयु १०-१४ वर्ष आयुवर्ग है, जिसे मुख्यतः निम्न वर्ग में देखा जा सकता है। विवाहित सूचनादाताओं में अधिकांष सूचनादाताओं का विवाह परिवार द्वारा निष्चित/तय किया गया है।

निदर्ष की सामाजिक प्रस्थिति के संदर्भ में प्राप्त तथ्यों के विष्लेषण से ज्ञात होता है कि अधिकांष सूचनादाता हिन्दू धर्म से संबंधित हैं। अध्ययन में शामिल अधिकांष सूचनादाता सामान्य जाति के हैं। यद्यपि निम्न वर्ग में पिछड़ी जाति के सूचनादाताओं का प्रतिषत सर्वाधिक है। प्रतिदर्ष में सम्मिलित अधिकांष सूचनादाता अषिक्षित हैं, जबकि षिक्षित सूचनादाताओं में अधिकांष स्नातक स्तर तक षिक्षा प्राप्त हैं। प्रतिदर्ष में शामिल अधिकांष सूचनादाता संयुक्त परिवार से संबंधित हैं। निम्न वर्ग में यह प्रवृत्ति प्रमुख है। प्रतिदर्ष में अधिकांष सूचनादाताओं के परिवार के सदस्यों की संख्या ०-४ है। हालांकि निम्न वर्ग में अधिकांष सूचनादाताओं के परिवार की सदस्य संख्या १२-१६ सदस्य है। अधिकांष सूचनादाताओं के परिवार के सभी सदस्य शिक्षित हैं, हालांकि इसमें निम्न वर्ग के सूचनादाताओं का प्रतिषत अत्यंत सूक्ष्म है।

निदर्श की आर्थिक प्रस्थिति के संदर्भ में प्राप्त तथ्यों में सर्वप्रथम सूचनादाताओं के परिवार की आय को देखा जा सकता है। इसमें तीनों वर्गों के आय स्तर भिन्न हैं। प्रथम उच्च वर्ग में न्यूनतम आय १०००१ रु० मासिक और अधिकतम १००००० रु० मासिक से अधिक है। इस आय वर्ग में सर्वाधिक प्रतिशत २००००० रु० मासिक से अधिक आय वालों का है। द्वितीय मध्यम वर्ग में न्यूनतम आय २००० रु० मासिक और अधिकतम १००००० रु० मासिक है। इसमें सर्वाधिक प्रतिषत ४०००१-६०००० रु० मासिक आय वालों का है। जबकि तृतीय निम्न वर्ग में न्यूनतम आय २००० रु० मासिक से कम और अधिकतम २०००० रु० मासिक है। इसमें सर्वाधिक प्रतिषत २००० रु० मासिक से कम आय वालों का है, जबकि २०००० रु० मासिक आय वाले सूचनादाताओं की संख्या सर्वाधिक न्यून है। प्रतिदर्ष में शामिल अधिकांष सूचनादाताओं के परिवार की आय का मुख्य स्रोत व्यवसाय है। प्रतिदर्ष में शामिल अधिकांष सूचनादाता किसी न किसी प्रकार की भूमि के स्वामी हैं। हालांकि निम्न वर्ग के अधिकांष सूचनादाताओं के पास किसी भी प्रकार की भूमि नहीं है। भूमि रखने वाले उच्च व मध्यम वर्ग के अधिकांष सूचनादाता आवासीय भूमि के मालिक हैं, जबकि निम्न वर्ग में भूमि रखने वालों में अधिकांष सिंचित/कृषि योग्य भूमि के मालिक हैं। प्रतिदर्ष में सम्मिलित अधिकांष सूचनादाताओं के निजी आवास है। लेकिन आवास की भौतिक स्थिति वर्ग निर्धारण में आवास की भूमिका को स्पष्ट करती है। उच्च वर्ग में सभी सूचनादाताओं के पास पक्के सुसज्जित आवास हैं, मध्यम वर्ग में अधिकांष के पास पक्के सामान्य सज्जित आवास हैं, जबकि निम्न वर्ग में अधिकांष सूचनादाता झुग्गी-झोपड़ियों में रहते हैं और इनका एक बड़ा प्रतिषत पूर्णतः कच्चे मकानों में रहता है इसी को वे निजी आवास मानते हैं।

षोध में सामाजिक-आर्थिक स्थिति के आंकलन हेतु इकाइयों के पास उपलब्ध भौतिक साधनों को भी ज्ञात किया गया है जिसमें संचार के प्रमुख साधनों (संरचनात्मक रुप में रेडियो, टेलिविजन, कम्प्यूटर तथा मोबाइल और प्रकार्यात्मक रुप में डिष/केबल तथा इंटरनेट आदि) की उपलब्धता को भी ज्ञात किया गया है। उच्च वर्ग की समस्त इकाइयां संचार के समस्त साधनों का, जिनमें संरचनात्मक रुप में रंगीन/स्मार्ट टी०वी०, लैपटाप/टैबलेट, मल्टीमीडिया/स्मार्ट फोन तथा प्रकार्यात्मक रुप में केबल प्रसारण व असीमित इंटरनेट का, मध्यम वर्ग की अधिकांष इकाइयां संचार माध्यमों में संरचनात्मक रुप में रंगीन टी०वी०, कम्प्यूटर, मल्टीमीडिया फोन तथा प्रकार्यात्मक रुप में डिष/केबल व सीमित इंटरनेट का तथा निम्न वर्ग की इकाइयों में (अधिकांष के पास कोई भी साधन उपलब्ध नहीं है) कुछ संरचनात्मक रुप में

मुख्यतः रेडियो का व कुछ सस्ते टी०वी० और मोबाइल का तथा प्रकार्यात्मक रुप में केबल प्रसारण का उपभोग करती हैं।

परिणाम स्पष्ट करते हैं कि संचार के साधनों की उपलब्धता और अभाव का परिणाम इकाइयों की वैचारिक स्थिति को व्यापक रुप से प्रभावित करते हैं । महिला उत्पीड़न के संदर्भ में संचार के साधनों का उपभोग करने वाली इकाइयों की वैचारिकी संचार साधनों का उपभोग न करने वाली इकाइयों की वैचारिकी से भिन्न पाई गई है जो कि महिलाओं की स्थिति को व्यापक रुप से प्रभावित करती है ।

निश्कर्शों से स्पष्ट होता है कि उच्च सामाजिक-आर्थिक स्थिति वाले वर्ग के सूचनादाता जो कि संचार के उच्च स्तरीय साधनों यथा केबल टी०वी०, कम्प्यूटर और इंटरनेट आदि का प्रयोग करते हैं उच्च षिक्षित, आर्थिक दृश्टि से संपन्न और आधुनिक जीवन-षैली व नवीन विचारधाराओं के धारक हैं। यद्यपि वे अपने परिवार में महिलाओं का उत्पीड़न तथा अपने द्वारा महिला उत्पीड़न की स्थिति को स्वीकार नहीं करते हैं तथापि वे समाज में महिलाओं के प्रति उत्पीड़न की स्थिति को स्वीकारते हैं। महिलाओं के प्रति किए जाने वाले विविध व्यवहारों को वे न केवल उत्पीड़क व्यवहार के रुप में स्वीकार करते हैं वरन विभिन्न सामाजिक रुढ़ियों, परम्पराओं और मान्यताओं को भी महिला उत्पीडन से संदर्भित करते हैं ।

जबकि मध्यम सामाजिक-आर्थिक स्थिति वाले वर्ग के सूचनादाता महिलाओं का मुख्यतः षारीरिक और कुछ संदर्भों में मानसिक तथा आर्थिक उत्पीडन को तो स्वीकार करते हैं तथापि सामाजिक उत्पीडन को वे नकारते हैं। महिलाओं के संदर्भ में बने विभिन्न सामाजिक नियमों व्यवहारों और रुढ़ियों को वे सामान्य व्यवहार के रुप में ही देखते हैं ।

जबकि निम्न सामाजिक-आर्थिक स्थिति वाले वर्ग के सूचनादाता, जो आर्थिक रुप से कमजोर, अषिक्षित या अल्पषिक्षित हैं, उनमें अधिकांष महिला उत्पीडन संबंधी विविध सामाजिक नियमों व्यवहारों और रुढ़ियों को षोशण और उत्पीड़न के बजाय सामान्य सामाजिक व्यवहारों, स्त्रियों की नियति और गरीबी से जोड़ते हैं।

जहां उच्च और मध्यम वर्ग के सूचनादाताओं की वैचारिकी को प्रभावित करने में अन्य कारकों का भी योगदान है वहीं निम्न सामाजिक-आर्थिक स्थिति वाले वर्ग में संचार के साधनों का ज्यादा प्रभाव परिलक्षित होता है। उपलब्ध तथ्यों के आधार पर इसकी विवेचना संभव है।

निम्न सामाजिक-आर्थिक प्रस्थिति में लगभग ७ प्रतिषत सूचनादाता टी०वी० का, ३ प्रतिषत टी०वी०, रेडियो दोनों का और लगभग २० प्रतिषत केवल रेडियो का उपभोग करते हैं, जबकि षेश ७० प्रतिषत

सूचनादाता किसी भी साधन का प्रयोग नहीं करते हैं। निम्न वर्ग में महिला उत्पीडन की वैचारिकी के संदर्भ में संचार के साधनों का उपभोग करने वाले और संचार के साधनों का उपभोग न करने वाले सूचनादाताओं की विचारधारा में पर्याप्त अंतर देखने को मिलता है।

संचार के साधनों का उपभोग करने वाले लगभग ९० प्रतिषत सूचनादाता महिला उत्पीडन की स्थितियों से परिचित हैं। महिलाओं के संदर्भ में किए जाने वाले विभिन्न व्यवहारों को वे उत्पीडन के रुप में स्वीकार करते हैं और मुख्यतः षारीरिक उत्पीडन को स्वीकार करते हैं। वहीं संचार के साधनों का उपभोग न करने वाले ९० प्रतिषत सूचनादाता महिलाओं के संदर्भ में किए जाने वाले विभिन्न व्यवहारों को एक सामान्य सामाजिक स्थिति, अपनी नियति और गरीबी के संदर्भ में देखते हैं तथा महिलाओं की निम्न स्थिति के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं जिनमें भूमि का अभाव प्रमुख है।

जहां संचार के साधनों का उपभोग करने वाले अधिकांष सूचनादाता स्त्री षिक्षा और महिला अधिकारों के बारे में जागरुक हैं तथा अपनी कन्या संतानों को षिक्षा दिलाना चाहते हैं। वहीं संचार के साधनों का उपभोग न करने वाले, न तो स्त्री षिक्षा की आवष्यकता महसूस करते हैं और न ही स्थापित व्यवस्था में महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन के बारे में सोचते हैं। महिला अधिकारों के बारे में उनका मत हैं कि पुरुश ज्यादा बुद्धिमान होते हैं इसलिए समाज और परिवार में निर्णय लेने का कार्य उन्हीं का है। स्त्रियों के लिए तो पुरुशों के निर्देषों का पालन और गृह कार्य ही अच्छा है।

संचार के साधनों का उपभोग करने वाले लगभग ७० सूचनादाता महिला उत्पीड़न के कारणों में स्त्रियों की निम्न स्थिति, सामाजिक रीति-रिवाज और षारीरिक रुप से पुरुशों के ताकतवर होने को प्रमुख मानते हैं जबकि संचार के साधनों का उपभोग न करने वाले अधिकांष सूचनादाता महिलाओं की गलती होने तथा ऐसा ही होता आया है, को प्रमुख कारण मानते हैं ।

समाज में महिलाओं की स्थिति के संदर्भ में, संचार के साधनों का उपभोग करने वाले अधिकांषतः सूचनादाताओं का मानना है कि महिलाओं की स्थिति खराब है। पुरुशों को दिए जाने वाले महत्त्व को वे पूरी तरह सही नहीं मानते और इसे महिला उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार भी मानते हैं। जबकि संचार के साधनों का उपभोग न करने वाले अधिकांष सूचनादाता समाज महिलाओं की निम्न स्थिति और पुरुशों के प्रभुत्व के बारे में कुछ भी नहीं कहते और मानते हैं कि ऐसा ही होता आया है।

संचार के साधनों का उपभोग करने वाले अधिकांष सूचनादाता उन बातों को जानते-सुनते हैं जिनमें महिलाओं को भी महत्त्व दिया जाता है। वे इन बातों की भी जानकारी रखते हैं कि जो कार्य पहले सिर्फ

पुरुश करते थे वे अब महिलाएं भी कर रही हैं, जैसे उच्च षिक्षा, उच्च पद प्राप्ति, वाहन चलाना, मर्जी से विवाह, पर्दा त्याग, विधवा पुनर्विवाह, षासन और राजनीति, नौकरी और व्यवसाय तथा साहसपूर्ण कार्य आदि और इन्हें महिलाओं के हित में भी मानते हैं। वहीं संचार के साधनों का उपभोग न करने वाले अधिकांष सूचनादाताओं को ऐसे कार्यों की जानकारी बेहद कम हैं और यदि है भी तो वे इनमें से अधिकांष को उचित नहीं मानते ।

संचार के साधनों का उपभोग करने वाले अधिकांष सूचनादाता सीता, द्रौपदी, सावित्री और गांधारी जैसी पौराणिक महिला पात्रों से परिचित हैं और उनकी कहानियों के बारे में काफी कुछ जानते हैं। ये जानकारी प्राप्त होने का श्रेय वे संचार के साधनों रेडियो व टी०वी० पर आने वाले पौराणिक व धार्मिक कार्यक्रमों तथा धारावाहिकों को देते हैं। सीता, द्रौपदी, सावित्री, अहिल्या और गांधारी जैसी महिला पात्रों तथा राम, लक्ष्मण, गौतम, कृश्ण आदि पुरुश पात्रों द्वारा वर्णित कार्यों को वे उचित मानते हैं तथा इनसे प्रेरणा प्राप्त करते हैं और उन्हें समाज के हित में मानते हैं। जबकि संयोगिता द्वारा पृथ्वीराज चौहान से किए गए प्रेम विवाह को वे अनुचित मानते हैं। इसके विपरीत संचार के साधनों का उपभोग न करने वाले अधिकांष सूचनादाता राम-कृश्ण को भगवान के रुप में तो जानते हैं, पर इनकी कहानियों के बारे में बहुत कम जानते हैं।

उच्च वर्ग में अधिकांश सूचनादाता द्वारा संचार के साधनों का व्यापक प्रयोग करने के कारण वे नौकरी/व्यवसाय करने, राजनीति में हिस्सा लेने और अविष्कार या खोज करने से अत्याचारों में थोड़ी बहुत कमी को, जबकि शेष अन्य कार्यों से अत्याचारों में कमी को स्वीकार करते हैं। मध्यम वर्ग में अधिकांश सूचनादाता नौकरी या व्यवसाय करने, आधुनिक/मर्जी के वस्त्र पहनने और सेना/पुलिस जैसे क्षेत्रों में काम करने से अत्याचारों में कमी को तथा पर्दा/घूंघट का त्याग करने और संगठित विरोध या आंदोलन करने से कमी नहीं आने को, जबकि शेष कार्यों से थोड़ा बहुत कमी आने को स्वीकार करते हैं। निम्न वर्ग में अधिकांश सूचनादाता उच्च शिक्षा, नौकरी/व्यवसाय करने, राजनीति में हिस्सा लेने, शासक पद प्राप्त करने, घर से बाहर निकलने और मर्जी से विवाह या पुनर्विवाह करने से महिला अत्याचारों में कमी को, पर्दा/घूंघट का त्याग करने और आधुनिक/मर्जी के वस्त्र पहनने से अत्याचार में कमी नहीं आने को, उच्च पद प्राप्ति एवं संगठित विरोध/आंदोलन से थोड़ी बहुत कमी को स्वीकार करते हैं, जबकि सेना/पुलिस जैसे क्षेत्रों में कार्य करने, जोखिम या साहस युक्त कार्य करने और अविष्कार या

खोज करने के बारे में कह नहीं सकते उत्तर देते हैं, इनकी यह सोच इनकी परंपरावादी ज्ञान को ही प्रस्तुत करती है।

भारतीय समाज में विभिन्न पौराणिक पुस्तकों, कहानियों, लोकगीतों, धार्मिक पुस्तकों आदि में वर्णित सीता, सावित्री, द्रौपदी और अनुसुइया जैसी महिलाओं के त्याग, सच्चरित्रता और पतिव्रता आदि गुणों की कहानियों को अधिकांश लोग जानते हैं। अधिकांश महिला सूचनादाता इनके बारे में जानकारी नहीं रखती हैं, जबकि पुरुषों द्वारा संचार साधनों का अधिक प्रयोग करने के कारण ज्यादातर सूचनादाता इनकी जानकारी रखते हैं। यही कारण है कि उच्च व मध्यम दोनों ही वर्गों में अधिकांश सूचनादाता इस कहानियों के बारे में जानकारी रखते हैं, संचार साधनों के अभाव के कारण निम्न वर्ग में अधिकांश सूचनादाता इन कहानियों के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं। इनमें महिला पात्रों के साथ पुरुष पात्रों के व्यवहार के संदर्भ में राम का सीता पर संदेह कर, गर्भवती होने के बावजूद जंगल में भेजने को उचित नहीं माना जाता है। जहां महिलाएं इसे बिलकुल भी स्वीकार नहीं करती हैं, वहीं पुरुषों में इसे थोड़ा बहुत सही माना जाता है। दूसरी ओर उच्च व मध्यम वर्ग भी इसे स्वीकार नहीं करते हैं, जबकि निम्न वर्ग में इसे थोड़ा बहुत स्वीकार किया जाता हैं। महाभारत की कथा के अनुसार पांडवों का द्रौपदी को जुए में वस्तु की तरह दांव पर लगाने को भी अधिकांश लोग स्वीकार नहीं करते हैं। स्त्री-पुरुष दोनों के द्वारा भी इसे स्वीकार नहीं किया गया है। वर्गीय आधार पर अधिकांश उच्च व मध्यम वर्ग इसे सही नहीं मानता हैं, वहीं निम्न वर्ग में इसे थोड़ा बहुत सही माना गया है।

रामायण महाकाव्य के अनुसार राम को वनवास होने पर भ्रातृभक्ति में लक्ष्मण का पत्नी उर्मिला को छोडकर भाई राम के साथ वन जाने को लोग सही मानते हैं। जबकि इसे सही मानने वालों में पुरुष वर्ग प्रमुख है। हालांकि महिलावादी विचारधारा से परिचित होने के कारण उच्च वर्ग में अधिकांष महिलाएं इसे सही नही मानती हैं, जबकि विचारधारा के अभाव में निम्न वर्गों में इसे सही माना जाता हैं।
इसी तरह पौराणिक कथाओं में विभिन्न महिला पात्रों द्वारा किए गए कार्यों में रामायण ग्रंथ के अनुसार सीता द्वारा रावण के सुख-वैभव को ठुकराकर राम का इंतजार करने को ही लोग उचित मानते हैं। महाभारत महाकाव्य के अनुसार द्रौपदी द्वारा कुंती के भ्रमपूर्ण आदेश पर उनके पांचों पुत्रों को अपना पति स्वीकार कर लेने को अधिकांश लोगों द्वारा सही नहीं माना जाता हैं। महाभारत महाकाव्य में पति के अंधे होने के कारण पत्नी गांधारी का अपनी आंखों पर पटटी बांध लेने को लोग उचित मानते हैं, और पतिव्रत धर्म के चलते इसे महिलाओं के लिए आदर्श मानते हैं और आम स्त्रियों से भी इनके अनुकरण की

उम्मीद करते हैं। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार मुगल सेनाओं द्वारा पराजित होने पर मुस्लिम आक्रमणकारियों के भय से चित्तौड़ की महिलाओं द्वारा सामूहिक आत्मदाह कर लेने को लोग सही मानते हैं जबकि कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता के राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान से अपनी मर्जी से विवाह कर लेने को लोग गलत मानते हैं। महाभारत की एक कथा के अनुसार कुंती द्वारा विवाह पूर्व सूर्य से उत्पन्न पुत्र कर्ण को लोकलाज के भय से गंगा में बहा देने को अधिकांशतः सही माना जाता है। संचार साधनों के द्वारा कथा का ज्ञान होने के कारण अधिकांष सूचनादाता इस बारे में अपनी राय प्रकट करते हैं।

विभिन्न पौराणिक पुस्तकों, कहानियों, लोकगीतों तथा धार्मिक पुस्तकों आदि में ये कहे जाने कि महिलाओं को ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, महिलाओं को ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, के कारण ही महिलाओं द्वारा विभिन्न कार्य-व्यवहार किए जाने को, लोग थोड़ा बहुत स्वीकार करते हैं। जहां अधिकांश महिलाएं इसे थोड़ा बहुत स्वीकार करती हैं, वही अधिकांष पुरुष इसे पूर्णतया स्वीकार करते हैं । उच्च व मध्यम वर्ग इसे थोड़ा बहुत ही स्वीकार करता हैं जबकि अधिकांष निम्न वर्ग इसे पूर्णतया स्वीकार करता है।

महिलाओं की निम्न एवं दयनीय स्थिति बनाने तथा उन पर अत्याचार व उत्पीड़न को समर्थन देने तथा उन्हें बनाए रखने में इन पौराणिक पुस्तकों, कहानियों, लोकगीतों तथा धार्मिक पुस्तकों आदि की भूमिका को मुख्यतया स्वीकार नहीं किया जाता हैं। महिला और पुरुष दोनों में ही अधिकांशतः इसे स्वीकार नहीं करते हैं। यद्यपि उच्च वर्ग में मुख्यतया महिलाएं इसे स्वीकार करती हैं, मध्यम वर्ग में महिलाएं इसे थोड़ा बहुत स्वीकार करती हैं, जबकि निम्न वर्ग में अधिकांष महिलाओं द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया जाता है। हालांकि उच्च वर्ग द्वारा उपरोक्त कथाओं को महिला उत्पीड़न के लिए उत्तरदायी माना जाता है, लेकिन मध्यम व निम्न दोनों ही वर्गों में अधिकांशतः इसे स्वीकार नहीं किया जाता है। विभिन्न पौराणिक कथाओं, गीतों और पुस्तकों में वर्णित व्यवहारों के कारण ही पुरुषों की प्रमुखता को बल मिला और महिलाओं की निम्न सामाजिक स्थिति को समाज की सहमति और मान्यता मिलने को लोग स्वीकार नहीं करते हैं। महिलाओं और पुरुषों में भी अधिकांशतः इसे स्वीकार नहीं किया जाता हैं। हालांकि उच्च वर्ग प्रस्तुत तथ्य को स्वीकार करता हैं और इसमें महिलाएं प्रमुख है, जबकि मध्यम व निम्न दोनों ही वर्गों के द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया जाता है। उपरोक्त समस्त तथ्य ज्ञान और विचारधारा के निर्धारण में संचार के साधनों की उपलब्धता और प्रयोग की भूमिका को स्पश्ट करते हैं।

उपरोक्त समस्त विवेचना से यह स्पश्ट होता है कि संचार के आधुनिक साधन न केवल व्यक्ति के ज्ञान और सूचनाओं में वृद्धि करते हैं वरन ज्ञान के माध्यम से उनकी वैचारिकी का निर्माण भी करते हैं। संचार के साधनों का उपभोग करने वाले और उनसे वंचित व्यक्तियों के ज्ञान और विचारधारा में पर्याप्त भिन्नता देखने को मिलती है। यह स्थिति तब और भी ज्यादा प्रभावी हो जाती है जबकि संचार साधनों के उपभोग न करने वाले अषिक्षित और निर्धन हों अर्थात उनकी सामाजिक-आर्थिक प्रस्थिति निम्न हो। महिला उत्पीड़न के संदर्भ में किए गए इस षोध से इन तथ्यों की पुश्टि होती है ।

सन्दर्भित ग्रन्थ –

Ahuja, Ram. 1998. *Violence against Women.* Jaipur ; Rawat Publications.

Altekar, A. S. 1938 & 1956. *Status of Women in Hindu Civilization.* Varansi : Motilal - Banarsilal.

Cesar, St. Chavez., 1979. *Origin & nature of Women's Oppression*., San Francisco : Walnut Publishing.

Datar, Chhaya. 1982. *Redefining : Exploitation : Towards a Socialist Feminist Critique of Marxist Theory*. Bombay : I.S.R.E. Research Monograph.

De Beauvoir, S. 1964 . *The Second Sex*, New York : Bantam Books.

Delphey, Christine. 1977.*The Enemy : A Materialist Analysis of Women's Oppression*. London.

Desai, Neera. 1998. *Social Construction of Feminist Perspective and Feminist Consciouness : A study of Ideology and Self Awareness among Women Leaders*. New Delhi : I.C.S.S.R. and U.G.C.

Joshi, Geeta. 1995. *Psychological Impact of Violence on Women.* S.N.D.T. Women University.

Kaushik, Sushila. 1985. *Women Oppression : Patterns and Perspective*. New Delhi : Vikas Publishing House.

Mannheim, Karl. 1959. *Ideology and Utopia*, London : Routledge and Kegan Paul Ltd.

Sahgal, Manmohini and Maya Lahiri, 1987. "Violence Against Women" , In B. K. Paul (ed.) *Problems and Concern of Indian Women*, New Delhi : A. B. C. Publishing House.

Sewell, Rob., 2001. *The origin of women's oppression.*, London.

Shills, David L. (edt.), 1968. *International Encyclopedia of the Social Sciences*. Vol. - VII, The Macmillan Company & The Free Press.

Singh, Indu Prakash. 1996. *Women Oppression, Men Responsible*. Delhi : Renaissance Publishing House.

Singhi, N. K. 1998. ''Narivad : Paripreshya & Siddhant''. In Pratibha Jain aur Sangeeta Sharma's (Edt.). *Bhartiya Stree : Sanskratik Sandarbh*, Jaipur ; Rawat Publications.

Walker, L.E., 1989, *Psychology and violence against women*, AM Psychologist.